

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

सम्बन्धी

चौदहवां प्रतिवेदन

“सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और ऐसे संस्थानों/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ-भारतीय जीवन बीमा निगम के विशेष संदर्भ में .(एलआईसी)

04.04.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

04.04.2022 को राज्य सभा पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

_____, 2022 / _____, 194३ (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (2021-22) III

प्रस्तावना V

अध्याय - एकप्रतिवेदन

अध्याय - दो.....टिप्पणियां / सिफारिशें

परिशिष्ट

एक. दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश।

दो. दिनांक 01.04.22 को हुई समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) की संरचना

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य - लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री तापिर गाव
6. कुमारी गोड्डेति माधवी
7. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
8. श्री अशोक महादेवराव नेते
9. श्री विनसेंट एच. पाला
10. श्री छेदी पासवान
11. श्री प्रिंस राज
12. श्री ए. राजा
13. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
14. श्रीमती संध्या राय
15. श्री अजय टम्टा
16. श्री रेबती त्रिपुरा
17. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
18. श्री गुमान सिंह दामोर
19. श्री रतन लाल कटारिया
20. श्री जगन्नाथ सरकार

सदस्य- राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री शमशेर सिंह दुलो
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री नारणभाई जे. राठवा
25. श्री राम शकल
26. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी
27. श्री के. सोमप्रसाद
28. श्री प्रदीप टम्टा
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्री डी. आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री पी. सी. चौल्हा - निदेशक
3. श्री वी. के. शैलॉन - उप सचिव

प्रस्तावना

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति की ओर से वित्त मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और ऐसे संस्थानों/बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की जा रही ऋण सुविधाएं और अन्य लाभ-भारतीय जीवन बीमा निगम के विशेष संदर्भ में (एलआईसी) विषय संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति इस विषय की जांच के संबंध में समिति के लिए अपेक्षित सामग्री और जानकारी को समिति के समक्ष रखने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है।
3. प्रतिवेदन को दिनांक 01.04.22 को समिति द्वारा विचारोपरांत स्वीकार किया गया।
4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

, 2022
, 1944(शक)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय 1

संक्षिप्त इतिहास

एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम, अधिनियम 1956 नामक संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा जीवन बीमा और बीमा को अधिक व्यापक रूप से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना और उचित लागत पर पर्याप्त वित्तीय कवर प्रदान करने के उद्देश्य से बीमाधारकों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लेने के बाद किया गया था। इसे सार्वजनिक बचत को प्रभावी ढंग से जुटाने की दिशा में एक और कदम माना गया।

एलआईसी की स्थापना ने 245 पूर्ववर्ती बीमाकर्ताओं के एक साथ विलय को चिह्नित किया, जो व्यापक रूप से आयु, आकार, संगठन के पैटर्न और व्यावहारिक रूप से उनके कामकाज के हर मामले में भिन्न थे। पूर्ववर्ती बीमाकर्ता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति का पालन नहीं कर रहे थे। निगम को वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1963 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली रियायतों के मामले में सलाह दी गई थी और वर्ष 1965 के बाद से, दिनांक 7 दिसंबर, 1964 के वित्त मंत्रालय के पत्र अनुसार, एलआईसी द्वारा आरक्षण संबंधित सिद्धांत का पालन किया गया है।

2. एलआईसी की दूरदर्शिता, मिशन और उद्देश्य

दूरदर्शिता: समाज के लिए महत्व के एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी वित्तीय समूह में बदलना।

मिशन: प्रतिस्पर्धी लाभ के साथ वांछित विशेषताओं के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके और आर्थिक विकास के लिए संसाधन प्रदान करके वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बढ़ाना।

उद्देश्य:

- देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें उचित कीमत पर मृत्यु के प्रति पर्याप्त वित्तीय कवर प्रदान करने की दृष्टि से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए व्यापक रूप से जीवन बीमा का प्रसार करना।
- बीमा से जुड़ी बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर लोगों की बचत को अधिकतम करना।
- निधियों के निवेश में, अपने बीमाधारकों के प्रति प्राथमिक दायित्व, जिनके धन को वह विश्वास में रखता है, समग्र रूप से समुदाय के हितों की अनदेखी किए बिना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ के दायित्व को ध्यान में रखते हुए निधियों को निवेशकों के साथ समग्र रूप से समुदाय के सर्वोत्तम लाभ के लिए लगाया जाना है।
- अत्यधिक मितव्ययिता के साथ और इस पूर्ण अहसास के साथ कि पैसा बीमाधारकों का है, कामकाज करना।
- बीमित जनता के व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं में ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।
- समुदाय की जीवन बीमा संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना जो बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उत्पन्न होंगी।
- निगम में काम करने वाले सभी लोगों को उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार शामिल करके शिष्टाचार के साथ कुशल सेवा प्रदान करके बीमाकृत जनता के हितों को आगे बढ़ाना।
- निगम के सभी एजेंटों और कर्मचारियों के बीच निगमित उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से भागीदारी, गर्व और नौकरी की संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देना।

जीवन बीमा निगम की स्थापना से लेकर अब तक के कार्यनिष्पादन की एक संक्षिप्त तुलना नीचे दी गई है:

मापदंड	1956 (आरंभ)	2000 (बाजार खुलने पर)	2021
लागू नीतियां	50.50 लाख रु	10.13 करोड़ रु	28.62 करोड़ रु
कुल संपत्ति	411 करोड़ रु	160936 करोड़ रु	38,04,610 करोड़ रु.

जीवन निधि	380.44 करोड़ रु.	154044 करोड़ रु.	34,36,686 करोड़ रु.
कर्मचारियों की संख्या	27000	122867	108987
कार्यालयों की संख्या	5 अंचल, 33 मंडल	7 अंचल, 100 मंडल	8 अंचल, 113 मंडल
बाजार में हिस्सेदारी	-	-	एफवाईपीआई - 66.18% एनओपी - 74.58%

3. एलआईसी का संगठनात्मक ढांचा

समिति द्वारा प्राप्त प्रश्न-सूची के उत्तरों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम का संगठनात्मक ढांचा (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)

- निदेशक मंडल- एलआईसी के निदेशक मंडल में छह सदस्य हैं। एलआईसी से प्राप्त उत्तर के अनुसार आज तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसी भी सदस्य को एलआईसी के निदेशक मंडल में नियुक्त नहीं किया गया है।
- केंद्रीय कार्यालय
(शीर्ष प्रबंधन: अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक)
- 8 आंचलिक कार्यालय
- 113 मंडल कार्यालय
(प्रभारी मंडल प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रभारी प्रबंधक के नेतृत्व में)
- 2048 शाखा कार्यालय, 1546 सैटेलाइट कार्यालय, 1173 छोटे कार्यालय

4. तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर कर्मचारियों का आरक्षण

एलआईसी ने तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर कर्मचारियों के आरक्षण के संबंध में समिति के प्रश्न का उत्तर देते हुए निम्नलिखित जानकारी दी ।

श्रेणी I	दिनांक 17.09.1970 के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% की दर से अधिकारियों की सीधी भर्ती में प्रवेश स्तर पर आरक्षण लागू है।
आंचलिक प्रबंधक (चयन वेतनमान) / मुख्य अभियंता (चयन वेतनमान)	
आंचलिक प्रबंधक (साधारण वेतनमान)/मुख्य अभियंता (साधारण वेतनमान)	
वरिष्ठ मंडल प्रबंधक / उप मुख्य अभियन्ता	
मंडल प्रबंधक / अधीक्षण अभियंता	
सहायक मंडल प्रबंधक / कार्यकारी अभियंता	
प्रशासनिक अधिकारी / सहायक कार्यकारी अभियंता	
सहायक प्रशासनिक अधिकारी / सहायक अभियंता	
श्रेणी II	
विकास अधिकारी	दिनांक 17/09/1970 के परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य जिसमें संभागीय कार्यालय स्थित है के लिए निर्धारित प्रतिशत।
श्रेणी III	
उच्च स्तरीय सहायक / इंजीनियरिंग सहायक	
विभाग प्रमुख	
आशुलिपिक	

सहायक / टंकक / खजांची आदि।	
अभिलेख लिपिक	
श्रेणी IV	
वाहन चालक	
सिपाही / हमाल / प्रमुख चपरासी / लिफ्टमैन / चौकीदार	
सफाई कर्मचारी/झाड़ू लगाने वाले	

5. पदोन्नति नीति

समिति ने भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड में पदोन्नति नीति के संबंध में निम्नलिखित उत्तर प्राप्त किया।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पदोन्नति) नियम, 1987 में निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को विनियमित किया गया है। पद के आधार पर पदोन्नति की प्रादेशिक सीमा संभागीय/आंचलिक कार्यालय है। पदोन्नति केवल स्वीकृत पदों पर रिक्तियों के प्रति की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पद आरक्षित हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भीतर, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति योग्यता, उपयुक्तता और वरिष्ठता के आधार पर होती है, जहां योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण गोपनीय प्रतिवेदनों और/या परीक्षाओं और/या साक्षात्कार द्वारा किया जाता है।।

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 7 के संदर्भ में श्रेणी-I के भीतर पदोन्नति प्रभावी है। नियम 7 (3) के अनुसार, पदोन्नति योग्यता, उच्च पद के लिए उपयुक्तता और वरिष्ठता के आधार पर होगी, जहां योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण गोपनीय प्रतिवेदनों द्वारा किया जा सकता है।

चयन और पदोन्नति करने में, नियुक्ति प्राधिकारी (अनुसूची I के द्वारा) को नियम 7(2) के तहत निर्धारित समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 3.12.2013 और 10.10.2017 की रूपांतरण की योजना के अनुसार नियमित अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक कर्मचारियों में परिवर्तित किया गया।

6. सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए रियायतों/छूट हेतु प्रावधान

भर्ती के समय सभी श्रेणियों (श्रेणी I, II, III और IV) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जा रही रियायतों और छूटों के संबंध में प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है: -

- ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है।
- परीक्षा/साक्षात्कार में सफल घोषित होने के लिए अंकों के प्रतिशत में 10% की छूट भी प्रदान की जाती है।
- प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सामान्य उम्मीदवारों के साथ तुलना से बचने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार या तो शुरुआत में या कार्यक्रम के अंत में साक्षात्कार के लिए किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें निश्चित मानकों पर आंका जाता है।
- प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक साक्षात्कार समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भर्ती और पदोन्नति के मामले में, यहां तक कि उन पदों पर भी शामिल किया जाता है, जिन पर आरक्षण लागू नहीं होता है।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराए का भुगतान किया जाता है, बशर्ते साक्षात्कार का स्थान उम्मीदवार के मुख्यालय से बाहर हो।
- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती के लिए कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं है।

पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को रियायतें/छूटें इस प्रकार हैं:-

- विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में अर्हक अंकों में 10% की छूट।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नत-पूर्व अनुशिक्षण किया जाता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार किया जाता है।
- पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को चयन पैनल में शामिल किया जाता है (रिक्तियों की संख्या के 5 गुना के प्रतिबंध के बावजूद) और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।
- विशेष वर्ष के दौरान विशेष संवर्ग में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति के आधार पर, जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू है, संवर्गों में पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा में छूट है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक साक्षात्कार समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भर्ती तथा पदोन्नतियों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है और यहां तक कि उन पदों पर भी, जिन पर आरक्षण लागू नहीं होता है।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

7. बैकलॉग रिक्तियां

एलआईसी में बकाया रिक्तियों के संबंध में समिति द्वारा प्राप्त उत्तरों के अनुसार निम्नलिखित तालिका में बकाया रिक्तियों की संख्या की जानकारी दी गई है।

वर्ष	श्रेणी	भर्ती	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
31.12.2018	प्रथम श्रेणी	0	0
	द्वितीय श्रेणी	86	80
	तृतीय श्रेणी	36	40
	चतुर्थ श्रेणी	0	0
31.12.2019	प्रथम श्रेणी	0	0
	द्वितीय श्रेणी	1	27
	तृतीय श्रेणी	36	40
	चतुर्थ श्रेणी	0	0
31.12.2020	प्रथम श्रेणी	0	0
	द्वितीय श्रेणी	1	27
	तृतीय श्रेणी	3	11
	चतुर्थ श्रेणी	0	0
31.07.2021	प्रथम श्रेणी	0	0
	द्वितीय श्रेणी	1	27
	तृतीय श्रेणी	3	11
	चतुर्थ श्रेणी	0	0

8. आरक्षण संबंधी रोस्टर

आरक्षण संबंधी रोस्टरों के रखरखाव के संबंध में समिति के प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ।

भर्ती को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कार्यालय अर्थात् केंद्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में आरक्षण रजिस्टर रखे जाते हैं। भर्ती के प्रत्येक वर्ग के लिए और उसके भीतर, इन आदेशों के प्रयोजन के लिए गठित पदों के प्रत्येक समूह के लिए एक अलग रोस्टर बनाए रखा जाता है। कुछ प्रभागों में एक से अधिक राज्य शामिल हैं और राज्य-वार आरक्षण प्रतिशत भी काफी भिन्न है, इसलिए, वे राज्य-वार रोस्टर तैयार कर रहे हैं और उसी के अनुसार श्रेणी II, III और IV में भर्ती के लिए आरक्षण प्रतिशत भी लागू करते हैं।

पदों की प्रत्येक श्रेणी के भीतर, (क) स्थायी नियुक्तियों और (ख) 45 दिनों या उससे अधिक के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी नियुक्तियों के लिए एक अलग रोस्टर बनाए रखा जाता है। सभी रोस्टरों को सभी कर्मचारियों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए इंटरनेट, साइट/वेबसाइट पर रखा गया है।

मुख्य संपर्क अधिकारी केन्द्रीय कार्यालय में अनुरक्षित रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करते हैं। अंचल में नामित संपर्क अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित अंचल कार्यालय और मंडलों के रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करते हैं।

9. विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती।

प्रश्न सूची के उत्तरों के अनुसार, एलआईसी के पास समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन और/रोजगार कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न पदों पर रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। श्रेणी I पदों (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) के प्रवेश स्तर पर भर्ती अखिल भारतीय आधार पर होती है और केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में की जाती है। मंडल स्तर पर द्वितीय श्रेणी (अपरेंटिस डेवलपमेंट आफिसर), तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाती है। इन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार है:-

- रिक्तियों की संख्या का निर्धारण।
- www.licindia.in पर विज्ञापन के माध्यम से और व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना। अधिसूचना की प्रतियां रोजगार कार्यालयों, स्थानीय संसद सदस्यों/विधायकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों को भेजी जाती हैं।
- वर्तमान आरक्षण और बकाया रिक्तियों दोनों को अधिसूचित किया जाता है।

श्रेणी I और II पदों पर भर्ती के लिए: -

- संबंधित पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित या ऑनलाइन परीक्षा (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) और साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।
- प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के 20 गुना तक चयन किया जाता है।
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सभी पत्र भाषा पत्र के अलावा द्विभाषी होते हैं। उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होता है।
- लिखित/ऑनलाइन परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, पैनल में शामिल होने वाली संख्या का अधिकतम तीन गुना साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।
- रैंकिंग सूची लिखित या ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।
- साक्षात्कार के बाद चयन किए गए उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व चिकित्सा जांच से गुजरना पड़ता है।
- सामान्य उम्मीदवारों के साथ तुलना से बचने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार या तो शुरुआत में या कार्यक्रम के अंत में साक्षात्कार के लिए किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें निश्चित मानकों पर आंका जाता है।
- प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक साक्षात्कार समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल किराए का भुगतान किया जाता है, बशर्ते साक्षात्कार का स्थान उम्मीदवार के मुख्यालय से बाहर हो।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए: -

- तृतीय श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए दो स्तरीय परीक्षा यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है।
- भाषा पत्र को छोड़कर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सभी पत्र द्विभाषी होते हैं। उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होता है।
- प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या के 20 गुना तक चयन किया जाता है।
- चपरासी (चतुर्थ श्रेणी के पद) की भर्ती के लिए, उस भाषा में दक्षता का परीक्षण करने के लिए मंडल की क्षेत्रीय भाषा में दो स्तर यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है।
- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं है।
- अंतिम चयन के लिए चयनित उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व चिकित्सा जांच से गुजरना होगा।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के संबंध में समिति द्वारा प्राप्त प्रश्न-सूची के उत्तरों के अनुसार केन्द्रीय कार्यालय में एक केन्द्रीय कल्याण प्रकोष्ठ है। केन्द्रीय कार्यालय के प्रकोष्ठ में सहायक/मंडल प्रबंधक और सहायक/प्रशासनिक अधिकारी रैंक के एक अधिकारी को तैनात किया जाता है। अंचल स्तर पर भी आठ आंचलिक कल्याण प्रकोष्ठ हैं जिनमें इन प्रकोष्ठों में सहायक मंडल प्रबंधक, सहायक/प्रशासनिक अधिकारी और/या उच्च ग्रेड के सहायक के रैंक का एक अधिकारी तैनात है। मंडल स्तर पर कल्याण प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य एक अधिकारी/उच्च ग्रेड के सहायक (पर्यवेक्षी संवर्ग) को सौंपा जाता है।

11. कल्याण संघ

समिति ने एलआईसी के प्रबंधन के साथ आयोजित समिति की बैठक के दौरान सुदृढ़ कल्याण संघों की आवश्यकता पर जोर दिया और यह बताया गया कि एलआईसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए दो कल्याण संघ हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बौद्ध एलआईसी कर्मचारी कल्याण एलआईसी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बौद्ध कर्मचारियों और अधिकारियों का संघ और कल्याण संघ। निगम दोनों कल्याण संघों के साथ वैकल्पिक

आधार पर केंद्रीय कार्यालय/अंचलिक कार्यालय/मंडल कार्यालय में तिमाही बैठकें करता है। बैठकों का कार्यवाही सारांश तैयार कर संघों को भेजा जाता है।

12. शिकायतों का निवारण

प्रश्न सूची के लिए प्राप्त उत्तर के अनुसार केन्द्रीय, अंचल और मंडल स्तर पर कल्याण प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को देखते हैं। इसके अलावा, अंचलों में संपर्क अधिकारी भी शिकायतों को देखते हैं। व्यक्तिगत शिकायतें आम तौर पर संबंधित व्यक्ति और/या स्थानीय अ.जा./अ.ज.जा. संघों द्वारा संबंधित अंचल के प्रभारी अधिकारी और संपर्क अधिकारी के साथ देखी जाती हैं। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अंचल, जिससे मामला संबंधित है, को सलाह दी जाती है कि वे इस मुद्दे को देखें और केंद्रीय कार्यालय को उस पर एक प्रतिवेदन/टिप्पणियां प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर, शिकायतों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके अलावा, संगठन के सभी कर्मचारियों के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र है, जहां एक पीड़ित कर्मचारी, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी शामिल है, निवारण के लिए अपनी शिकायत रख सकता है, तथा मौखिक रूप से रिपोर्ट की गई शिकायतों को चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है।

सभी कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रों का रखरखाव कर रहे हैं जहां कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ के प्रतिनिधि अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। उच्च अधिकारी के साथ-साथ अंचल संपर्क अधिकारी भी इसकी निगरानी करते हैं। सभी कार्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/संघों की शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किये जाने के लिए सूचित किया गया है।

लंबित शिकायतों का विवरण -

श्रेणी	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार ओ/एस	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	वर्ष के दौरान निपटाई गई	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार लंबित
अ. जा.	6	26	32	29	3
अ. ज.जा.	1	8	9	5	4
कुल	7	34	41	34	7

13. जाली जाति प्रमाण पत्र

जाली जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त उत्तर के अनुसार जब भी यह पता चलता है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति जाली / झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की गई है, तब ऐसे मामलों को सत्यापन के लिए संबंधित सक्षम राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाता है। जाली जाति प्रमाण पत्र के मामलों पर नियमित रूप से आगे की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2019 से भर्ती किये गये नये कर्मचारियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्थिति की पुष्टि करने के लिए संबंधित जारी प्राधिकारी को एक संदर्भ दिया जाता है।

14. ठेका श्रमिक

ठेका श्रमिक एलआईसी में नहीं लगे हैं। हाउसकीपिंग/सुरक्षा सेवाओं जैसी कतिपय गैर-कोर सेवाओं को संविदात्मक आधार पर विक्रेताओं को आउटसोर्स किया जाता है और वे तदनुसार कार्यबल को कार्य में लगाते हैं। आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है और प्रबंधन को उनके द्वारा नियुक्त कामगारों के वर्ग/श्रेणी सहित ऐसे ब्यौरे वाले किसी भी रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

15. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों का ब्यौरा			
वर्ष	वर्ग III	वर्ग IV	आज की तिथि के अनुसार लंबित

	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
2018	215	62	24	41	16	2			
2019	213	51	19	34	16	3			
2020	245	64	16	23	6	3	129	29	16
31.07.2021 तक	264	91	33	22	7	2			

16. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में एलआईसी ने यह उत्तर दिया है कि स्वर्ण जयंती फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी और इसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के पास एलआईसी की सामुदायिक विकास गतिविधि के एक भाग के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 50 (पचास) करोड़ रुपये का प्रारंभिक कोष था। फाउंडेशन के उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति हैं।

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन ने एक एनजीओ के माध्यम से वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ग्राम पंचायत गांभीरपुर के तहत गोविंदपुर गांव को गोद लिया है। गांव गोविंदपुर और गांभीरपुर को कवर करने वाली ग्राम पंचायत गांभीरपुर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। गोविंदपुर गांव में 101 परिवार हैं और गांभीरपुर गांव में 132 परिवार हैं और गांभीरपुर पंचायत की कुल आबादी 1242 (अ.ज.जा. -226, अ.जा. -801, अ.पि.व. -175, सामान्य -40) है। एलआईसी ने चिकित्सा राहत हेतु एक एम्बुलेंस और निरक्षरता उन्मूलन के लिए साक्षरता अभियान हेतु निधियां प्रदान की है। साथ ही फाउंडेशन ने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए दो सामुदायिक शौचालयों के लिए वित्त पोषण किया है। दो सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की दिशा में परियोजना प्रगति पर है और इसे 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

फाउंडेशन शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की उन्नति के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से समाज के कई वंचित वर्गों तक पहुंच

गया है। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (जीजेएफ) ने देश भर में स्थित 114.08 करोड़ रुपये की 608 परियोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में समर्पित गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन किया है। फाउंडेशन शिक्षा, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य उद्देश्य की उन्नति के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से समाज के कई वंचित वर्गों तक पहुंच गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लगभग 19961 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। एलआईसी जीजेएफ के न्याय विलेख के दिशानिर्देशों के अनुसार, कल्याणकारी गतिविधियां जाति, पंथ या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के की जाती हैं। लाभार्थियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं क्योंकि समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्थापना के बाद से पूरी की गई 608 परियोजनाओं में से, कमजोर वर्गों को लाभान्वित की गई परियोजनाओं में से 95.83 करोड़ रुपये की 508 परियोजनाएं हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभान्वित परियोजनाएं 10.96 करोड़ रुपये की 58 परियोजनाएं हैं, और महिलाओं के कल्याण के लिए परियोजनाओं में 7.29 करोड़ रुपये की 42 परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 2158 छात्रों में से 271 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे, वर्ष 2016-17 के लिए छात्रवृत्ति के तहत चयनित 2160 छात्रों में से 290 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के थे और वर्ष 2019-20 में चयनित 2642 अध्येताओं में से 407 छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। अब तक समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीजेएफ छात्रवृत्ति के तहत 19961 अध्येताओं का चयन किया गया है।

17. विदेश में प्रशिक्षण

एलआईसी के प्रबंधन के साथ हुई समिति की बैठक के दौरान यह सूचित किया गया था कि एलआईसी में विदेश में प्रशिक्षण के संबंध में निर्णय लेने के लिए सभी मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष है, जिसके पास विदेशी प्रशिक्षण के लिए एक अधिकारी को नामित करने और मामले की गुण-दोष के आधार पर किसी भी शर्त को माफ करने का एकमात्र विवेकाधिकार होगा।

वर्ष 2015 से, कुल 38 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है, जिनमें से निम्नलिखित छह अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं:

वर्ष	क्र.सं.	नाम	श्रेणी	तैनाती
2017-18	546412	श्री रामनराव एस वी	अ.ज.जा.	ईडी (स्वास्थ्य बीमा), सीओ, हैदराबाद
2016-17	501779	श्री सी पी चित्रारासु	अ.जा.	सहायक सचिव, बीमांकिक, सीओ
2015-16	328207	सुश्री पूनम बोदरा	अ.ज.जा.	ईडी (अंडरराइटिंग और पुनर्बीमा)
2015-16	335435	श्री एस हांसदा	अ.ज.जा.	एसडीएम, भुवनेश्वर
2015-16	335328	श्री पी के सेठी	अ.जा.	एसडीएम, कटक
2015-16	335192	श्री माझी बी	अ.जा.	एसडीएम, बरहमपुर

18. विदेश में नियुक्ति:

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की विदेशों में नियुक्ति पर पूछे गए प्रश्नसूची के उत्तर में एलआईसी ने बताया कि अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए इच्छुक अधिकारियों का आवेदन उनकी शैक्षणिक अर्हता तथा आवश्यक अनुभव के आधार पर मंगाया जाता है। अधिकारियों का चयन उनकी इच्छानुसार और विस्तृत चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। हालांकि, जिन अधिकारियों ने विदेश में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है उनका मूल्यांकन यथोचित चयन निर्देशों के अनुसार किया जाता है तथा जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की नियुक्ति विदेश में की जाती है।

विदेशों में नियुक्त अधिकारियों का विवरण:-

वर्ष		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
घोषित रिक्तियों की संख्या		36	16	12	14	23	7	7
आवेदन प्राप्त	अ.जा.	42	27	41	45	24	1	3
	अ.ज.जा.	11	12	9	10	3	2	0
	अनारक्षित	392	198	384	367	159	20	25
भरी गई रिक्तियां	अ.जा.	3	0	0	0	0	0	0
	अ.ज.जा.	0	0	1	0	0	0	0
	अनारक्षित	18	1	6	10	12	5	0

अध्याय 2

समिति की सिफारिश

एलआईसी निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व:-

1. समिति नोट करती है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत निगम में निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 16 से अधिक ना हो। वर्तमान में निदेशक मंडल में 6 सदस्य हैं तथा कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से नहीं है। साक्ष्य के दौरान यह इंगित किया गया कि निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। समिति यह सिफारिश करती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नीतिगत रूप से एल.आई.सी. के निदेशक मंडल में कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से नियुक्त किया जाना चाहिए। समिति दृढ़ता से यह मानती है कि पूरे-पूरे प्रयास किए जाएं तो निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति नामित करना कठिन कार्य नहीं है।

बैकलॉग रिक्तियों की स्पष्टता:-

2. भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के साथ समिति की हुई बैठक में समिति ने एलआईसी में प्रबंधन द्वारा बैकलॉग रिक्तियां स्पष्ट ना किए जाने का कारण जानकारी का गोपनीय बताया गया है जो अत्यंत अस्पष्ट कारण है। जब तक बैकलॉग रिक्तियों का पता नहीं चलता, यह आंकलन करना बहुत कठिन है कि आरक्षण सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं। लिपिक संवर्ग की भर्ती निजी संस्थानों को सौंप दी जाती है जो कि लिपिक रिक्तियों की भर्ती में ईमानदार प्रयास न करते हुए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नियमों का सही से पालन नहीं करते हैं। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि एलआईसी में विभिन्न संवर्गों में खाली पदों की भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए साथ ही इस प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण किया जाए। समिति का यह दृढ़ मत है कि कर्मचारियों की भर्ती तृतीय पक्ष से करवाने के बजाय एलआईसी को भर्ती संबंधी गतिविधियों को स्वयं करना चाहिए। एलआईसी के विभिन्न संवर्गों में लंबित रिक्तियों के बारे में समिति को अवगत कराया जाए

तथा इनको निर्धारित समय सीमा में भरने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। समिति को किए गए प्रयासों के परिणाम से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तीन महीने के अंदर अवगत कराया जाए।

विकास अधिकारी को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना

3. समिति को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एलआईसी में विकास अधिकारी के पदों से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को निलंबित किया जाता है क्योंकि वे एलआईसी द्वारा वृद्धि लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ रहते हैं। समिति यह मानती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी समाज के वंचित वर्ग से आते हैं तथा उन्हें बीमा बेचने में प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि एलआईसी सिर्फ तीन वर्षों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के समय पालन एवं लक्ष्य प्राप्ति के मूल्यांकन में लचीला दृष्टिकोण अपनाए। उक्त आधार पर उनका वृद्धि लक्ष्य ही बर्खास्तगी का एकमात्र मानदंड होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण तथा संचार कौशल प्रबंधन इनके कौशल को और बढ़ाएगा तथा एलआईसी की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

तृतीय श्रेणी संवर्ग में बैकलॉग रिक्तियां

4. समिति साक्ष्य के दौरान यह नोट करती है कि एलआईसी वर्ग III संवर्ग में लगभग 1200 रिक्तियां आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं। समिति यह जानकर अप्रसन्न है कि एलआईसी में इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों को बिना किसी वैध कारण के लंबे समय से भरा नहीं गया है। इन पदों पर भर्ती 2 वर्ष पहले की गई थी परंतु योग्यता अंक में छूट ना मिलने की वजह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया तथा यह पद खाली रहे। समिति यह महसूस करती है कि प्रबंधन को तत्काल जरूरी कदम उठाने चाहिए तथा अर्हता अंकों में छूट देकर उन्हें शिथिल करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की जाए।

चतुर्थ श्रेणी के अनुबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण

5. साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लगभग 1800 अनुबंधित कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पिछले पंद्रह वर्षों से स्थायी नहीं

किया गया है। समिति इस तथ्य पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है कि उन्हें आनुषंगिक प्रभाव से स्थायी कर्मचारियों के रूप में अब तक आमेलित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, उन्हें पिछले 15 वर्षों से स्थायी कर्मचारियों को मिल रही वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य लाभ नहीं मिल सके। इसके अलावा, चिंताजनक तथ्य यह है कि पिछले 15 वर्षों से उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। समिति को यह जानकर दुख है कि उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बावजूद कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए, एलआईसी ने इस फैसले का लाभ आरक्षित श्रेणी के अनुबंधित कर्मचारियों को नहीं दिया है जो एलआईसी में 15 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इसलिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि एलआईसी ऐसे सभी कर्मचारियों को उनकी पिछली अस्थायी सेवा की गणना के साथ नियमित करे।

अनुकंपा आधारित नियुक्ति

6. एलआईसी में अनुकंपा नियुक्ति के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के तहत नियुक्ति पाने के लिए पति या पत्नी की आयु 45 वर्ष से अधिक और आश्रित बच्चों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड के कारण बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों की मृत्यु हुई है जिनके आश्रित आयु सीमा के मानदंड को पूरा करने में असमर्थ हैं। समिति का सर्वसम्मति से मानना है कि ऐसे महामारी के समय के दौरान घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य को खोना पूरे परिवार के लिए आपदा समान हो सकता है। समिति को बताया गया कि ऐसे आरक्षित श्रेणी के लगभग 25 कर्मचारी अभी भी अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एलआईसी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपने नियमों में ढील दे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित श्रेणी के प्रभावित परिवारों के लिए भी ऐसी नियुक्तियों के लिए आयु सीमा को पूरी तरह से समाप्त करे।

विदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तैनाती

7. समिति को यह जानकर निराशा हुई है कि विदेशों में तैनात कुल 56 कर्मचारियों में से केवल दो आरक्षित श्रेणी के हैं। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर भी नहीं भेजा गया था। उपर्युक्त आंकड़ों से समिति यह पाती है कि एलआईसी प्रबंधन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में ईमानदार नहीं है। समिति को उम्मीद है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अधिक संख्या को विदेशों में तैनात करने की

अनुमति देकर और जल्द से जल्द संभव समय सीमा के भीतर बेहतर पोस्टिंग प्रदान करके इस निराशाजनक स्थिति में सुधार किया जाएगा।

संविदात्मक सेवाएँ

8. नीतिगत मामले के रूप में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रापण कार्यों में से कम से कम 4 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबंटित किए जाने चाहिए जिनमें कानूनी सेवाएं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं, भू-संपत्ति संबंधित सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं, कूरियर सेवाएं, मुद्रण और प्रकाशन सेवाएं आदि शामिल हैं। तथापि, समिति ने साक्ष्यों के दौरान यह पाया है कि इनमें से कोई भी संविदा अथवा सेवाएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विक्रेताओं को आबंटित नहीं किए जाते हैं जो सरकार द्वारा प्रतिपादित नीतियों का पूर्णतः उल्लंघन है। समिति यह सिफारिश करती है कि उपर्युक्त क्षेत्रों में कम से कम 15% और 7.5% आउटसोर्स किए गए कार्यों को क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आबंटित किए जाए। इस तरह समाज के दबे-कुचले वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त होने और समाज के अन्य वर्गों के बराबर आने का समान अवसर मिलेगा।

एलआईसी की सहायक कंपनियों में आरक्षण

9. समिति ने नोट किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के पास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और म्यूचुअल फंड लिमिटेड जैसी कई सहायक कंपनियां हैं। समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि इन फर्मों में कर्मचारियों की भर्ती करते समय आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। समिति का मानना है कि यह भारत सरकार की नीतियों का घोर उल्लंघन है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति खुला अन्याय है। समिति इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सहायक कंपनियां सरकारी स्वामित्व वाली हैं, पुरजोर सिफारिश करती है कि एलआईसी की सभी सहायक कंपनियों में भी आरक्षण जल्द से जल्द लागू किया जाए और समिति को इसके बारे में सूचित किया जाए। जब तक इन सहायक कंपनियों में आरक्षण नीति को अपनाया नहीं जाता है, तब तक उक्त समिति की रिपोर्ट और डीओपीटी का.ज्ञा. संख्या 36011/6/2010 दिनांक 25 जून, 2010 के अनुसरण में सभी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान यथाशीघ्र निर्धारित किया जाए।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों की रूकी पेंशन जारी करना

10. समिति को इस बात की चिंता है कि एलआईसी में ऐसे कई मामले हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं होने के कारण उनके पेंशन लाभ रोक दिए गए हैं। समिति ने इस मुद्दे पर पहले ही एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और आशा करती है कि एलआईसी सहित संबंधित संगठन डीओपीटी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और अन्यत्रता का बहाना न बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकेंगे। समिति एलआईसी में ऐसे मामलों की स्थिति जानना चाहती है और एलआईसी को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि ऐसे सभी मामलों की अनंतिम पेंशन जल्द से जल्द जारी की जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को सुविधाएं

11. भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के साथ हुई समिति की बैठक के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि एलआईसी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को संघ के सुचारू कार्यकरण के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान नहीं किया गया है। समिति ने नोट किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मुद्दों/शिकायतों को उठाने वाले दो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ हैं जैसे कि संघों के पदाधिकारी को बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है ताकि उन्हें बिना किसी डर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने की सहूलियत हो सके। समिति का विचार है कि एलआईसी के प्रबंधन को संघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराने के लिए आगे आना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के मामलों/शिकायतों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए शासन प्रणाली में वैधता और लोकतंत्र के पूर्ण समर्थन के साथ उनको उचित मान्यता मिले। समिति इस बात की भी पुरजोर सिफारिश करती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कल्याण संघ की बैठकों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्याप्त स्थान प्रदान करना अनिवार्य है

नई दिल्ली;

2022
, 1944(शक)

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

